संख्याः 155 / XXIV-3/2007/02(75)05

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनाँक 26 मार्च, 2007

विषयः राजकीय इण्टर कालेज चम्पेश्वर, पौड़ी गढ़वाल के मुख्य भवन के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः नियोजन–4/48142/रा0इ0का0 चम्पेश्वर/2006–07 दिनाँक 15–12–2006, नियोजन–4/46026/भवन विस्तार विद्युतीकरण /2006–07 दिनाँक 2–12–2006 एवं नियोजन–4/ 61261/ भवन विस्तार विद्युतीकरण /2006–07 दिनाँक 5–2–2007 के कम में शासनादेश संख्याः 182/माध्यमिक/2001 दिनाँक 28–12–2001 एवं शासनादेश संख्याः 31/XXIV-2/2005 दिनाँक 28–5–2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय इण्टर कालेज चम्पेश्वर, पौड़ी गढ़वाल के मुख्य भवन के पुनरीक्षित आगणन के परीक्षणोपरान्त आगणन की अनुमोदित लागत रू0 145.30 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 25.00 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 120.30 लाख के सापेक्ष रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र)की धनराशि को शासनादेश संख्या 233/XXIV–3 / 2006 दिनाँक 27–4–2006 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 800.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/निर्देशिकाओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

9– जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

10– मुख्य सचिव,उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006)दिनॉक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जान सुनिश्चित करें।

11– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

12– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

2— उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3— उक्त कार्य हेतु थर्ड पार्टी से गुणवत्ता/प्रगति की जाँच हेतु व्यवस्था बनायेगें तथा उक्त पर होने वाला व्यय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

4— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006—07 में अनुदान संख्या 11 के लेखा शीर्षक 4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय—01— सामान्य शिक्षा—202—माध्यमिक शिक्षा— 91— जिला योजना—9103—राजकीय मा0 विद्यालयों का भवन निर्माण, विस्तार,विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (जिला योजना) —24— वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—674/वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—3/2007 दिनाँक 23—3—07 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
सचिव

संख्याः 135 (1)/XXIV—3/2007 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल— पौड़ी।
6— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल— पौड़ी।
7— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय ।
8— जिलाधिकारी, पौड़ी।

9– कोषाधिकारी, पौड़ी।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी।
11– वित्त विभाग /नियोजन प्रकोष्ठ।
12– कम्प्यूटर सेल( वित्त विभाग)।
13– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14– संबंधित निर्माण ऐजेन्सी।
15 – गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव